

भाग— IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	बड़वानी जिले के सेंधवा वनमण्डल अन्तर्गत NDB-II योजनांतर्गत सेंधवा-वरला मुख्य जिला मार्ग (एम.पी.-एम.डी. आर.-48-22) मार्ग उन्नयन हेतु 5.518 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, बड़वानी को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	--

तिथि:- 11/11/2021

स्थान:- भोपाल।


(SUNIL AGRAWAL)
Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal